न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 133/2020, जिला दौसा

1. फूलाराम पुत्र चन्दर जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा (मृतक के बजाय)
1/1. सेडी देवी पत्नि फूलाराम
1/2. जगदीश पुत्र फूलाराम
1/3. रामसिंह पुत्र फूलाराम
1/4. रघुवीर पुत्र फूलाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा।
1/5. चाहिता पुत्री फूलाराम पत्नि छाजूराम निवासी सिंगपुरा बडा तहसील दौसा।
1/6. कबूल पुत्री फूलाराम पत्नि मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी कुटुकी तहसील राजगढ जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तीजा बेवा गणेश (मृतक के बजाय)
1/1. बालू पुत्र गणेश
1/2. प्रेम पुत्री गणेश पत्नि दुलीचन्द जाति गुर्जर निवासी बगडेडा तहसील बसवा।
1/3. बीला पुत्री गणेश पत्नि कानाराम जाति गुर्जर निवासी बगडेडा तहसील बसवा।
1/4. ज्याना पुत्री गणेश पत्नि रामकरण निवासी नांगलदासा तहसील राजगढ।
2. बालू पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी बसवा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलं अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 20.03.2009 जो प्रकरण संख्या 37/2008 प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन रूल्स अनुवानी तीजा बनाम फूलाराम पर पारीत किया गया है।

उपस्थित—
1. वकील अपीलान्ट श्री विनोद कुमार विजय
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/4 व 2 श्री मिठ्ठन लाल गुर्जर
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —05.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.03.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट को वाके ग्राम कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 28/1 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 17.06.76 करे करने हेतु लगभग 32 वर्ष बाद एक प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन रूल्स का अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त आंवटन को दिनांक 20.03.2009 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडन्ट संख्या 1 व 2 ने निहायत ही झूठे तथ्यों के आधार पर अपीलांट को वाके ग्राम कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 28/1 रकबा 9 बिस्वा के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 17.06.76 निरस्त करने हेतु लगभग 32 वर्ष बाद एक प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन रूल्स का अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना रिकॉर्ड को देखे बिना दिनांक 20.03.2009 को उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसकी अपीलांट को कतई जानकारी नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड को देखे बिना व बिना खातेदारी व गैर खातेदारी के रिकॉर्ड को देखे बिना विधि विरूद्ध तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है। कानूनन लगभग 32 वर्ष बाद आंवटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट ने उक्त भूमि में काफी लागत लगाकर कृषि योग्य भूमि बनाया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर न करके आंवटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है। छोटी मोटी टैक्नीकल गलतियों के आधार पर आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता किन्तु फिर भी आंवटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट उक्त भूमि का खातेदार एंव काबिज काश्तकार दर्ज है। आंवटन के वक्त से उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट का कब्जा होने के कारण ही गैर खातेदार से खातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया है। उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने के बावजूद भी गलत तरीके से उक्त भूमि को गैर खातेदारी की भूमि बताकर और गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण खारिज होना बताकर निर्णय पारित किया है जबकि रिकॉर्ड में उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है इससे जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड देखे उक्त निर्णय पारित किया है जबकि रिकॉर्ड में उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है इससे जाहिर है क अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड देखे उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट के अधिवक्ता श्री गौड साहब ही सम्भालते थे और गौड साहब ने अपीलान्ट वृद्ध होने के कारण अपीलांट से कह रखा था कि तुम्हारी प्रत्येक पेशीयो पर आने की आवश्यकता नहीं है मैं स्वंय सम्भालता रहूंगा। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब तुम्हें बुला लूंगा। अपीलांट को दिनांक 8.8.2011 को अपनी भूमि पर लोन लेने हेतु जमाबन्दी की आवश्यकता पडी और पटवारी हल्का से दिनांक 10.08. 2011 को जमाबंदी की नकल ली तो मालूम पडा कि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज कर रखा है तब अपीलांट अपने वकील साहब से मिला और वकील जी से पूछा कि यह भूमि सिवायचक कैसे दर्ज हुई है तो वकील जी ने दिनांक 15.8.2011 को अपनी डायरियों को घर जाकर बताया कि तुम्हारे नाम हुआ अलोटमेन्ट दिनांक 20.3.2009 को खारिज हो गया है इसलिये उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हो गई मेरे से गलती हो गई मैं अलोटमेन्ट केन्सिल के बारे में समाचार नहीं भिजवा सका अब नकल लेकर अपील करो और वकील साहब ने यह भी बताया कि तुम्हारा अलोटमेन्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा की कोर्ट से दिनांक 20.03.2009 को खारिज हुआ है। नकल दिनांक 17.08.2011 को मिली तब अपील तैयार कराकर जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा ना ही आज कब्जा है बल्कि मौके पर अपीलांट का कब्जा है। राजस्व मण्डल ने अनेक निर्णयों में तय किया है कि कब्जे के आधारों पर आंवटन निरस्त नहीं क़िया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो कोई ठोस सबूत था ना ही वाईलेशन ऑफ रूल सिद्ध था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आंवटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.टी. 2016(2) पेज 884 (2)
(2) आर.आर.टी. 2016(2) पेज 756,
(3) आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 715,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

(4) आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 242,
(5) आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.), पेज 304,
(6) आर.आर.टी. 2010 (4) पेज 158,
(7) आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 145

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/4 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त आंवटन नियमों की अवेलना कर अप्रार्थी को आंवटन किया है, जो निरस्तनीय है। क्योंकि उक्त आंवटित भूमि वैकेट लेण्ड नहीं थी। आराजी खसरा नम्बर 28/1 वर्ष 2005–06 तक हेमसिंह वल्द भींवसिंह की खातेदारी में अंकित थी। तीजा के पति व बालू के पिता गणेश उक्त आराजी के शिकमी जोता काबिज काश्त रहे हैं। आज भी तीजा व बालू के परिजन का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। फूलाराम व उसके परिजन का एक इंच भाग पर आज दिन तक कब्जा नहीं रहा है। आंवटित भूमि की न तो कोई उद्घोषणा जारी करवाई, न उसकी तामील करवाई एवं बिना जांच किये तथा आंवटन फ्रोड व धोखे से करवाया गया है। आंवटियों को आंवटित आराजी पर आज तक भी कब्जा नहीं है, न आंवटन से पूर्व कब्जा। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 17.08.2011 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट को वाके ग्राम कोलेश्वर खुर्द तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 28/1 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 17.06.76 निरस्त करने हेतु लगभग 32 वर्ष बाद एक प्रार्थना पत्र कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 की धारा 14(4) अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त आंवटन को दिनांक 20.03.2009 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2006 (2) पृष्ठ 884 में 25 वर्ष बाद भूमि का आंवटन निरस्त किए जाने पर अयुक्तियुक्त विलम्ब मानते हुये राजस्व मण्डल व कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2016(2) पृष्ठ 756 के अनुसार भी राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम, 1970 धारा 14(4) के अन्तर्गत आंवटन का 14 वर्ष विलम्ब के बाद निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया किए जाने पर अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। अयुक्तियुक्त विलम्ब का मामला–निर्णीत, एकल न्यायाधीश ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश सही अपास्त किया माना। न्यायिक दृष्टांत 2010(1) आर.आर.टी. 158 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम, 1970–नियम 14(4) राजस्व अपील प्राधिकारी ने आंवटन निरस्त किया–राजस्व अपील प्राधिकारी के निष्कर्ष कल्पना तथा कयासों पर आधारित है– रेस्पोडेन्ट 'एल' अतिक्रमी था और भूमि में कोई अधिकार नहीं थे–मिसरिप्रजेन्टेशन अथवा कपट द्वारा आंवटन प्राप्त नहीं किया–आंवटन प्राप्त नहीं किया–आंवटन आदेश की शर्तो का उल्लंधन नहीं–रेस्पोडेन्ट ने भूमि के नियमन हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया–निर्णीत, आदेश संवहनीय नहीं है व अपास्त किया।" उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतो से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को वर्ष 1976 में भूमि आंवटन की गयी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तीजा व बालू ने 32 वर्ष बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहॉ दिनांक 5.09.2008 को आवंटन निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

की गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वंय ही कथित रूप से अतिक्रमी थे। जिन्हें किसी भी प्रकार से आंवटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि आंवटन निरस्त कराना तो तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आंवटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर आंवटन निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। यह कहना कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपील रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.09.2008 को करीबन 32 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी , जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब के लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी पेश नहीं किया गया था। हम समझते हैं कि समयावधि के प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है। न्यायिक रूप से सर्वप्रथम यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं उचित होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये अन्यथा प्रकरण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के लिये कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2009 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बिना प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.03.2009 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. निरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner